**बिहार सरकार**
**जल संसाधन विभाग**

# आदेश

आ0सं0-11/विविध-6-09/2013/ ...... पटना, दिनांक-

यह अपील अभियंता प्रमुख(मध्य) के आदेश 4718 दिनांक 29.08.2013 के विरूद्ध बिहार ठेकेदारी निबंधन नियमावली-2007 के अंतर्गत दायर किया गया है।

आवेदन में उठाये गये तथ्यों एवं अभियंता प्रमुख(मध्य) द्वारा कालीकृत किये गये आदेश से संबंधित संचिका का अवलोकन किया।

उपर्युक्त समीक्षा में यह स्पष्ट हुआ है कि संवेदक द्वारा भागलपुर मुख्य अभियंता के अधीन ईस्माईलपुर बिन्द टोली ग्राम के निकट स्थित स्पर संख्या 03,04,05,06 एवं 07 के पुनर्स्थापन कार्य हेतु निविदा दिया गया था। संवेदक के विरूद्ध एक परिवाद प्राप्त हुआ था कि उनके द्वारा गलत कार्यानुभव प्रमाण-पत्र दिया गया है। अभियंता प्रमुख(मध्य) द्वारा जो कालीकृत किये जाने का आदेश निर्गत किया गया है, उसमें यह स्वीकार किया गया है कि संवेदक के द्वारा समर्पित अनुभव प्रमाण-पत्र सही एवं दुरूस्त है। अभियंता प्रमुख(मध्य) ने अपने आदेश में यह उल्लेख करते हुए कि संवेदक के द्वारा Bid Capacity के संदर्भ में अवशेष कार्य की राशि से संबंधित तथ्यों को छुपाये जाने के आरोप में उसके निबंधन को कालीकृत किया गया है।

अभियंता प्रमुख(मध्य) द्वारा कालीकृत किये जाने का यह आधार न्यायोचित प्रतीत नहीं होता, जबकि संवेदक से निबंधन को कालीकृत करने से संबंधित जो कारण पृच्छा किया गया है, उसमें यह आरोप उल्लिखित नहीं है। निबंधन कालीकृत करने संबंधी कारण पृच्छा में मात्र गलत अनुभव प्रमाण-पत्र देने का आरोप उल्लेखित है, जो कि प्रमाणित नहीं होने का निष्कर्ष अभियंता प्रमुख(मध्य) ने अपने अंतिम आदेश में स्वयं लिखा है। नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्त के तहत संवेदक को वैसे आरोप, जिसपर कालीकृत का आदेश अगर निर्गत किया जाना प्रस्तावित हो तो संवेदक को स्पष्ट रूप से इसकी सूचना देते हुए अपना पक्ष एवं बचाव समर्पित करने का उचित अवसर दिया जाना चाहिए।

उक्त के आलोक में कालीकृत किये जाने का आदेश न्यायोचित प्रतीत नहीं होता। कालीकृत किये जाने के आदेश को तात्कालीक प्रभाव से अवक्रमित करने का आदेश पारित किया जाता है।

(अरूण कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक- 11/विविध-6-09/2013/ ...... पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- श्रीमती रिंकी कुमारी, एम0डी0, रिंकी कंसट्रक्शन प्रा0लि0, बड़ी महुली, बासुदेवपुर, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
(आनन्द कुमार दत्त)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक- 11/विविध-6-09/2013/ ......1225 पटना, दिनांक- 20.03.14

प्रतिलिपि- प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग/ प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/ सचिव, पथ निर्माण विभाग/ सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/ सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/ विशेष सचिव, जल संसाधन विभाग/ सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग/ अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण, योजना एवं मो0, पटना/ अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मो0 अंचल- 2/3/4, पटना/ निदेशक, क्रय भंडार एवं सामग्री प्रबंधन, पटना/ प्रशाखा पदाधिकारी- 11/22/ आई0टी0 मैनेजर, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(आनन्द कुमार दत्त)
सरकार के अवर सचिव